

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-02(II)/नाम विलोपित/2018/1358


दिनांक:- 8/10/2018

आदेश

लिली मैसी, नर्स-2, जे. एल. एन. अस्पताल, अजमेर जिनकी राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 17.06.2018 को मृत्यु हो चुकी है का दिनांक 17.06.2018 से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है।

उक्त कार्मिका के मृत्यु दिनांक तक उनके विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-02(II)/नाम विलोपित/2018/1358

दिनांक:- 8/10/2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक जवाहर लाल नेहरू आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, जे. एल. एन. अस्पताल, अजमेर।
4. सम्बन्धित कर्मचारी के आश्रित द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर